बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लितिटेड, पटना

दिनांक 11.06.2016 को अपराह्न 12.30 बजे प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही :-

बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रबंध निदेशक
2. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
3. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (मुख्यालय/उत्तर)
4. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परामर्षी सेवा/प्रशासन/परियोजना)
5. श्री रामाश्रय साहनी, महाप्रबंधक (दक्षिण)
6. मो0 शमशाद, महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)
7. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
8. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
9. श्री संजीत कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक (विद्युत)
10. श्री अमर कुमार गौरव, परियोजना प्रबंधक
11. श्री पंकज कुमार सिन्हा, आई0टी0मैनेजर
12. श्री अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 (पटना)

बैठक की कार्यवाही :-

प्रबंध निदेशक द्वारा निगम के अन्तर्गत प्रस्तावित/कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति एवं अन्य विन्दूओं पर समीक्षा की गई।

1. कौशल विकास केन्द्र की निविदा प्रकिया में तेजी लाने एवं 50 प्रखंडों में जहाँ कार्य आवंटित किये जा चुके हैं, वहाँ शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया।

(कार्रवाई:-महाप्रबंधक (मुख्यालय)/सभी पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक)

2. निगम में आवश्यक कार्य बल की नियुक्ति के लिये की जा रही कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

कार्रवाई:-महाप्रबंधक (प्रशासन)

3. प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के आवंटन पर मुख्य सचिव से वार्ता की गयी है। वार्ता के क्रम में यह सहमति दी गयी है कि इस कार्य के लिये सेन्टेज वर्त्तमान दर पर ही लिया जायेगा। यदि निगम को भविष्य में कोई घाटा लगेगा तो निगम इस पर क्लेम कर सकता है। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा उसपर स्वीकृति दी गयी है। कृषि विभाग से सम्पर्क कर आवंटन प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

कार्रवाई:- महाप्रबंधक (मुख्यालय)

4. मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि महाप्रबंधक (वित्त) अभी छुट्टी पर हैं तथा महाप्रबंधक (मुख्यालय), भी अवकाश पर रहेंगे। इन दोनों पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में दिनांक 16.06.2016 को ऑडिट कमिटी की बैठक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार के अंकेक्षण टीम के साथ ऑडिट पारा पर विमर्श में कठिनाई होगी। अतः ऑडिट कमिटी की बैठक की तिथि एक हफ्ते आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। इसपर प्रबंध निदेशक द्वारा सहमति दी गयी तथा बैठक की अगली तिथि निर्धारण हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः– महाप्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव)

5. विधि विभाग के अंतर्गत अदालतगंज, पटना में पटना उच्च न्यायालय के स्टाफ कॉलोनी के निर्माण कार्य के विषय में वरीय वास्तुविद् द्वारा लिफ्ट लगाने के संबंध में कुछ संषोधन के विषय में बताया गया। उक्त आलोक में उन्हें निदेशित किया गया कि अगले एक सप्ताह में परामर्शी से नक्शे में आवश्यक संशोधन करा लें तथा उसे वरीय वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग से हस्ताक्षरित करा लें। इस संबंध में एक पत्र विधि विभाग को तथा इसकी एक कॉपी माननीय उच्च न्यायालय को भी दी जाये।

(कार्रवाईः–महाप्रबंधक (मुख्यालय)/वरीय वास्तुविद्)

6. विधि विभाग के अंतर्गत छज्जु बाग, पटना में बहुमंजिली आवासीय कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस योजना के लिए Larger option प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। सेन एण्ड लाल के निविदा को रद्द करते हुए व्यापक कोटेशन अवंटित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः–महाप्रबंधक ((परामर्शी सेवा)/वरीय वास्तुविद्)

7. विधि विभाग के अंतर्गत प० चंपारण (बेतिया), सहरसा एवं गोपालगंज में न्यायालय भवनों के निर्माण कार्य के लिये विधि विभाग/माननीय पटना उच्च न्यायालय के साथ हुये विमर्श के अनुसार सशोधनोपरान्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति के लिये शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः–महाप्रबंधक (मुख्यालय)

8. विधि विभाग के अंतर्गत पालीगंज एवं मसौढ़ी में न्यायालय भवनों के निर्माण कार्य के लिये वरीय वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग से संपर्क कर पत्र प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः–वरीय वास्तुविद/उपमहाप्रबंधक (पटना)

9. बुनियाद केन्द्रों की मरम्मति/जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः–महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), सभी पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक)

10. CPWD के पी0एम0आई0एस0 के अनुसार बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के पी0एम0आई0एस0 में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाकर इसे और अधिक presentable एवं Self-explanatory बनाने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक स्वीकृति, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की ऑनलाईन प्रवृष्टि की व्यवस्था

अगले 20 से 25 दिनों में करने का निदेश दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर CPWD के IT wing से मदद लेने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः—महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)/आई0टी0 मैनेजर)

11. महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण) सभी पी0आई0यू0 को गुण नियंत्रण के संबंध दिए गये निदेशों का अनुपालन की स्थिति का प्रभावी रूप से अनुश्रवण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः—महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)

12. निगम में कार्यरत आदेषपालों/ड्राईवरों के वेतन के मामले के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे वस्तुस्थिति को जाँचकर समुचित प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करें।

(कार्रवाईः—मुख्य महाप्रबंधक)

13. अगली समीक्षात्मक बैठक में पूर्व की सभी कार्यवाही के ATR पर विमर्श किया जायेगा। अतः पूर्व की सभी कार्यवाही ATR तैयार करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाईः—कार्रवाईः—प्रोजेक्ट मैनेजर)

14. प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार को निगम द्वारा विभिन्न विभागों/उपकमों की कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में सम्मिलत होने हेतु सभी प्रशासी विभागों/उपक्रमों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

कार्रवाईः— महाप्रबंधक (परियोजना)/परियोजना प्रबंधक

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

21.6.16
(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांकः— 1481 दिनांकः— 22/06/16
प्रतिलिपिः मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) को आवष्यक कार्रवाई हेतु ई—मेल द्वारा प्रेषण के लिए एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर को प्रेषित।

21.6.16
(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांकः— 1481 दिनांकः— 22/06/16
प्रतिलिपिः विकास आयुक्त, बिहार, पटना—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

21.6.16
(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।